प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 4725/2004

अलाउद्दीन सिद्दीकी और अन्य

बनाम

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और अन्य

दिनाक 23 अक्टूबर, 2009 को निर्णय सुनाए जाने हेतु सूचिबुद्ध करे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका संख्या 4725/2004</u>

<u>याचिकाकर्तागण</u> अलाउद्दीन सिद्दीकी और अन्य

बनाम

<u>उत्तरदातगण</u> साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

और अन्य

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित: याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव।

उत्तरवादियों के अधिवक्ता श्री पी.एस. कोशी।

<u>निर्णय</u>

(आज दिनाक 23 अक्टूबर, 2009 को पारित)

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता निम्नलिखित अनुतोष चाहते हैं:

"(1) माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादियों से संबंधित अभिलेख मंगाने की कृपा करें।

(2) माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी 1 को परमादेश रिट द्वारा जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर (प्रशिक्षु), ग्रेड 'ई' के चयन के लिए

आयोजित विभागीय पदोन्नति परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्देश देने की कृपा करें।

(3) माननीय न्यायालय कृपया उत्तरवादी 1 को अनुलग्नक-पी/4 की मंशा के अनुसार कार्य करने का निर्देश देने की कृपा करें और आगे यह निष्कर्ष देते हुए कि विषय वस्तु से संबंधित कार्यात्मक निदेशकों का निर्णय, जैसा कि उनकी 228वीं बैठक में निर्णीत हुआ था और जिसे उप सीपीएम प्रतिवादी 3 द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.11.2004 अनुलग्नक-पी/12 में उद्धृत किए जाने के बाद मामले की परिस्थितियों में निष्क्रिय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) और, परिणामस्वरूप, उत्तरवादी 1 को कृपया याचिकाकर्ताओं को पदोन्नत/चयनित करने का निर्देश देने की कृपा करे , यदि वे उनकी स्वयं की नीति अनुलग्नक - पी / 4 के अनुपालन में चयनित होते हैं।

(5) माननीय न्यायालय कृपया प्रतिवादियों को निर्देश दे कि वे परिपत्र अनुलग्नक-पी/1, पी/2 एवं पी/3 द्वारा जारी पूर्व विज्ञापन के परिणाम घोषित होने तक परिपत्र दिनांक 25.1.2007 अनुलग्नक पी/14 के अनुपालन में आगे कोई कार्रवाई न करें।

(6) कोई अन्य अनुतोष जिसे माननीय न्यायालय उचित समझे, कृपया, चीजों की उपयुक्तता और न्याय के हित में प्रदान की जाए।"

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद तथ्य संक्षेप में यह है कि उत्तरवादी प्राधिकारियों ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन हेतु उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए थे। उपरोक्त के अनुसरण में, याचिकाकर्ताओं ने अन्य अभ्यर्थियों के साथ अपने आवेदन प्रस्तुत किए और उसके बाद लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए। याचिकाकर्ताओं को लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया। तत्पश्चात, टाइपिंग परीक्षा आयोजित की गई। याचिकाकर्ता टाइपिंग टेस्ट पास नहीं कर सके, इसलिए उन्हें दोबारा टाइपिंग टेस्ट में बैठने का अवसर दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ताओं का परिणाम घोषित नहीं किया गया।

3. उपरोक्त कार्रवाई से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने उत्तरवादी प्राधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने न्याय की मांग हेतु एक विधिक नोटिस भेजा। नोटिस प्राप्त होने के बाद, प्रतिवादी प्राधिकारियों ने दिनांक 13-11-2004 के पत्र (अनुलग्नक **P**/12) द्वारा याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि कार्यात्मक निदेशकों ने निर्णय लिया है कि डेटा एंट्री ऑपरेटरों के पद के लिए भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों की अनुमोदित सूची तत्काल निरस्त की जाए और भविष्य में डेटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति लिपिक वर्ग के कर्मचारियों में से चयन के आधार पर की जाए। हालाँकि, यदि अनुमोदित सूची में कुछ लिपिक वर्ग के कर्मचारी पहले से ही चयनित हैं, तो कार्यात्मक निदेशक उन पर विचार कर सकते हैं। इसलिए, यह याचिका।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव ने तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी प्राधिकारियों ने चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयन मानदंड बदल दिया है और दिनाक 19-4-2004 को कार्यात्मक निदेशकों की

228वीं बैठक में केवल लिपिकीय कर्मचारियों में से ही व्यक्तियों का चयन करने का निर्णय लिया और, इस प्रकार, संपूर्ण चयन सूची निरस्त कर दी गई और लिपिकीय कर्मचारियों में से छह व्यक्तियों को दिनाक 27-1-2005 के आदेश द्वारा चयनित घोषित किया गया (अनुलग्नक - पी/13).

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान, उत्तरवादियों ने दिनांक 25-1-2007 (अनुलग्नक पी /14) का एक परिपत्र जारी कर, टी एंड एस ग्रेड 'ई' में जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर (प्रशिक्षु) के पद पर चयन हेतु पुनः आवेदन आमंत्रित किए, जिनमें पूर्व अधिसूचना (अनुलग्नक पी /4) में उल्लिखित समान अनुसार ही पात्रता मानदंड शामिल थे। इस प्रकार, दिनांक 19-4-2004 को आयोजित कार्यात्मक निदेशकों की 228वीं बैठक के आधार पर जारी दिनांक 13-11-2004 (अनुलग्नक पी/12) का आदेश, जिसमें केवल लिपिक वर्ग के कर्मचारियों में से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन का प्रावधान किया गया था, अनुचित, असंवैधानिक और विधि की दृष्टि में गलत है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि उत्तरवादियों ने डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन के मानदंडों में बदलाव किया है, जो बाद में चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत , उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कोशी ने तर्क प्रस्तुत किया कि जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की चयन सूची, कार्यात्मक निदेशकों द्वारा दिनाक 19-4-2004 को आयोजित अपनी बैठक में निरस्त कर दी गई थी। चूँकि चयन सूची प्रकाशित होने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं ने जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति के लिए कोई ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं किया है जो न्यायालय द्वारा

प्रवर्तनीय हो। श्री कोशी ने आगे तर्क दिया कि चयन सूची से चयनित व्यक्तियों को इस रिट याचिका में पक्षकार-प्रतिवादी के रूप में संसोधित नहीं किया गया है। नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले चयन प्रक्रिया को निरस्त करने के लिए कार्यात्मक निदेशक पूर्णतः सक्षम हैं।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, अभिवचन और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

8. यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने अन्य लोगों के साथ मिलकर जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर (प्रशिक्षु) (टी एंड एस) ग्रेड 'ई' के पद पर चयन के लिए, आवेदन किया था ,जिसमें पात्रता मानदंड इस प्रकार दिए गए थे, "कोई भी स्थायी कर्मचारी जिसके पास मैट्रिकुलेट या समकक्ष प्रमाणपत्र हो और जिसने कंपनी में तीन वर्ष की सेवा की हो।" याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया और उसके बाद वे लिखित परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए और कुछ समय बाद टाइपिंग परीक्षा भी उत्तीर्ण की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. कार्यात्मक निदेशकों ने दिनांक 19-4-2004 को आयोजित अपनी 228वीं बैठक में चयन सूची को निरस्त करने का निर्णय लिया। तद्नुसार, पत्र दिनांक 13-11-2004 (अनुलग्नक-पी/12) द्वारा, एसईसीएल के सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधकों को निम्नानुसार निर्देशित किया गया:

"क्रमांक एसईसीएल/बीएसपी/एडीएमएनप्रोम/जूनियर डीईओ(टी)/04/1739 दिनांक 13.11.2004

प्रति क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, एसईसीएल के समस्त क्षेत्र

विषय: डाटा एंट्री ऑपरेटरों का चयन।

प्रिय महोदय,

हमें डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों, कर्मचारियों और संघ यूनियनों से नियमित रूप से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। यह मामला 19 अप्रैल, 2004 को आयोजित कार्यात्मक की 228 वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था और कार्यात्मक निदेशकों द्वारा लिया गया निर्णय नीचे दिया गया है:

कार्यात्मक निदेशकों ने निर्णय लिया कि डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पद हेतु चयनित उम्मीदवारों की अनुमोदित सूची तत्काल निरस्त कर दी जाए और भविष्य में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति लिपिकीय कर्मचारियों में से चयन के आधार पर की जाए। हालाँकि, यदि अनुमोदित सूची में कुछ लिपिकीय कर्मचारी पहले से ही चयनित हैं, तो वित्त निदेशक उन पर विचार कर सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह आपकी जानकारी के लिए है तथा आपसे अनुरोध है कि कृपया संबंधित व्यक्तियों को सूचित करें।

भवदीय

सही /-

उप. सीपीएम

प्रतिलिपि

1. जीएम (पी एंड ए), एसईसीएल, बीएसपी।
2. जीएम (सिस्टम), एसईसीएल, बीएसपी।
3. उप सीपीएम (आईआर), एसईसीएल, बीएसपी।"

10. दिनांक 13-11-2004 के पत्र के आधार पर, छह व्यक्तियों को दिनांक 27-1-2005 के आदेश (अनुलग्नक-पी/13) द्वारा जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर (प्रशिक्षु) (टी एंड एस) ग्रेड 'ई' के पद पर लिपिक कर्मचारियों का चयन किया गया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक बार जब चयन प्रक्रिया अनुलग्नक पी/4 में निर्धारित पात्रता मानदंडों के आधार पर शुरू हो जाती है, तो चयन प्रक्रिया के दौरान उसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

11. इस तथ्य से स्पष्ट है कि लिपिक वर्ग के छह व्यक्तियों का चयन उसी चयन प्रक्रिया से किया गया था जिसमें याचिकाकर्ताओं ने भी पूर्वोक्त पात्रता मानदंडों के आधार पर भाग लिया था। उक्त पात्रता मानदंड के बाद में पुनः बहाल कर दिया गया। चयन प्रक्रिया अनुलग्नक - पी/14 दिनांक 25-1-2007 देखें। यह सही है कि सरकार किसी भी समय चयन मानदंड बदल सकती है, लेकिन चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि पात्रता मानदंड, यानी मैट्रिकुलेट या समकक्ष प्रमाणपत्र और कंपनी में तीन साल की सेवा के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने पद पर चयन के लिए आवेदन किया था। जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर (प्रशिक्षु) के टी एंड एस ग्रेड 'ई' पद के लिए। चयन के दौरान मानदंड बदल दिए गए और उक्त चयन सूची में से केवल लिपिक वर्ग से आने वाले छह व्यक्तियों को ही नियुक्त किया गया। इस प्रकार, चयन प्रक्रिया दूषित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मैंने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उद्धृत निर्णयों का अध्ययन किया है, तथापि, मैं केवल उन्हीं निर्णयों का उल्लेख कर रहा हूँ जो मामले के तथ्यों में निहित विवाद के लिए सुसंगत हैं।

13. पी. मोहनन पिल्लई बनाम केरल राज्य एवं अन्य[1] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया : "

> 11. अब यह बात सर्वमान्य है कि सामान्यतः उन नियमों का पालन किया जाएगा जो उस समय प्रचलित थे जब रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं। योग्यताएं उसी समय निर्धारित कर दी जानी चाहिए। पात्रता मानदंड तथा रिक्ति की तिथि पर प्रचलित प्रक्रियाओं का सामान्यतः पालन किया जाना चाहिए।"

14. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य बनाम राजेंद्र भीमराव मांडवे एवं अन्य[2] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया "इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि खेल के नियम, अर्थात् चयन के मानदंडों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा चयन प्रक्रिया के बीच में या उसके शुरू होने के बाद नहीं बदला जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. के. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य[3] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "खेल समाप्त होने के बाद खेल के नियमों में बदलाव करना स्वीकार्य नहीं है।" (पी.के. रामचंद्र लायर बनाम भारत संघ[4], उमेश चंद्र भी देखें) शुक्ला बनाम भारत संघ[5] और दुर्गाचरण मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य)[6]।

16. मदन मोहन शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य[7] मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "जब उस विशेष समय पर जारी परिपत्र के आधार पर विज्ञापन जारी कर दिया गया, तो इसका प्रभाव यह होगा कि चयन प्रक्रिया

---

[1] (2007) 9 SCC 497
[2] (2007) 10 SCC 51
[3](2008) 3 SCC 512
[4](1984)2 SCC 141
[5](1985) 3 SCC 721
[6](1987)4 SCC 646
[7](2008) 3 SCC 724

निर्धारित मानदंडों के आधार पर जारी रहनी चाहिए और यह बाद में बनाए गए मानदंडों के आधार पर नहीं हो सकती।"

17. मोहम्मद सोहराब खान बनाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और अन्य[8] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित विचार वयक्त किया :

> "27. चयन समिति, चयन के चरण के दौरान, जो कि मध्य में है, विज्ञापन में निर्धारित आवश्यक योग्यता को बदल नहीं सकती थी और उस चरण में यह माना गया कि औद्योगिक रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री धारक उक्त पद के लिए अधिक उपयुक्त होगा, जबकि उस संबंध में कोई विशिष्ट विज्ञापन नहीं था। यह तथ्य कि विश्वविद्यालय अब शुद्ध रसायन विज्ञान के विषय से एक व्यक्ति को उक्त पद के लिए नियुक्त कर रहा है, इस निष्कर्ष की ओर भी ले जाता है कि उक्त पद, जिस चरण में विज्ञापित किया गया था, उस समय शुद्ध रसायन विज्ञान विषय से संबंधित व्यक्ति द्वारा भरा जाना था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत भारत संघ एवं अन्य बनाम काली दास बातिश एवं अन्य[9] में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वर्तमान मामले में चयन प्रक्रिया के बीच में ही पात्रता एवं अर्हता में परिवर्तन कर दिया गया है, जो विधिक से स्वीकार्य नहीं है। यहाँ तक कि अन्यथा, शंकरसन दाश बनाम भारत संघ[10] को मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इसका अर्थ यह

---

[8](2009) 4 SCC 555
[9] (2006) 1 SCC 779
[10](1991) 3 SCC 47

नहीं है कि राज्य को मनमाने ढंग से कार्य करने का लाइसेंस है, जिसका उल्लेख पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य बनाम मल्कियत सिंह[11] तथा काली दास बातिश (सुप्रा) मामले में किया गया है।

9. मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा उस समय प्रचलित पात्रता के आधार पर आवेदन किए जाने पर, चयन प्रक्रिया के बीच में उसे बदल दिया गया था और लिपिक कर्मचारियों में से केवल छह व्यक्ति ही विचार के लिए पात्र पाए गए थे। जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर (प्रशिक्षु) (टी एंड एस) ग्रेड 'ई' के पद पर नियुक्ति के लिए, मानदंडों में परिवर्तन विधि में अस्वीकार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. याचिकाकर्ताओं ने लिपिक वर्ग के चयनित छह व्यक्तियों को पक्षकार-प्रतिवादी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए उनकी नियुक्ति और चयन प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जा सकता। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उत्तरवादी-प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे मूल पात्रता मानदंड अर्थात अनुलग्नक-पी/4 के आधार पर तैयार की गई चयन सूची के आलोक में याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करें और विधि के अनुसार तथा स्वतः उचित आदेश पारित करें।

21. उपर्युक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ रिट याचिका का निराकरण किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

सही /-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

[11](2005) 9 SCC 22

अस्वीकरण हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्ष कारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालय एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By .....तेजस्विता नंदिनी शाह .....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur